भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4439

दिनांक 23 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए

सीआरआर योजना

4439. श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री कौशल किशोर:
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री अर्जुन लाल मीणा:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परामर्श दिए जाने, पुन: प्रशिक्षण देने और परिनियोजन (सीआरआर) योजना वर्तमान में चल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत लाभांवित कर्मचारियों की संख्या और क्षेत्र-वार पुनरभिविन्यास का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष पुनरभिविन्यास हेतु कर्मचारियों को प्रदान किए गए पुन: प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष परामर्श देने पुन: कौशल प्रदान करने, परिनियोजन और पुनरभिविन्यास पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत परिनियोजनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ): जी, हां। परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना, स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (वीआरएस)/स्वैच्छिक वियोज्य योजना (वीएसएस) के तहत पृथक हुए केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के कर्मचारियों (या उनके आश्रितों) के लिए स्व/मजूरी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में लागू की जा रही है। कर्मचारियों के पुनर्प्रशिक्षण का लक्ष्य उन्हें अल्प अवधि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से पुन:स्थापित करना है ताकि वे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों से अलग होने के बाद नए वातावरण में समायोजित हो सकें एवं नए कार्यों को ग्रहण कर सकें। वर्ष 2016-17 से, सीआरआर योजना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, इलेक्ट्रॉनिक, खुदरा सहभागी, ऑटोमोटिव, खाद्य प्रसंस्करण, प्लंबिंग, हस्तशिल्प, लॉजिस्टिक, सूचना प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं। इससे लाभार्थियों को लाभप्रद पुनर्नियुक्ति (मजूरी/स्व-रोजगार) के अवसर प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई है। सीआरआर योजना के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान व्यय की गई धनराशि के साथ लाभान्वित/पुर्नप्रशिक्षित एवं पुर्नियोजन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 23.03.2021 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4439 के संदर्भ में, सीआरआर योजना के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए व्यय की राशि के साथ लाभान्वित/पुनर्प्रशिक्षित और पुनर्नियोजित कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

ब्यौरा	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
लाभान्वित/पुनर्प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	संख्या	3150	1576	2000	2000	1021@
पुनर्नियोजन (स्वरोजगार सहित)	संख्या	1637	887	1371	1347	@
किया गया व्यय	(रूपए करोड़ में)	2.83	2.06	2.59	3.86	3.40

@ लक्षित 1500 अभ्यर्थियों में से 1021 को पुन: प्रशिक्षित किया गया। यद्यपि, कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण उनके पुनर्नियोजन के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी ।

*****